# सेलिब्रेशन मॉल के समीप हुई चेन स्नेचिंग के मामले में दो गिरफ्तार

**उदयपुर, (कासं)।** उदयपुर में गत 18 मार्च को सेलिब्रेशन मॉल के समीप एक वृद्धा के साथ हुई चेन स्नेचिंग के मामले का सुखेर थाना पुलिस ने पटाक्षेप करते हुए चेन स्नेचरों को ऋषभदेव के जंगलों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दोनों ही चेन स्नेचर नशे में थे। इस दौरान पुलिस को देखकर भागते हुए बदमाश चोटिल भी हो गए। पुलिस टीम ने बदमाशों को पकड़ने के लिए करीब 500 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और अहमदबाद तक दबिशें दी थी।

सुखेर थाना पुलिस के अनुसार गत 18 मार्च को हैण्डीक्राफ्ट व्यवसायी राकेश जैन की माता 70 वर्षीय रूप कंवर जैन पत्नी महावीर प्रसाद जैन निवासी हितावाला टावर सेलिब्रेशन के समीप पैदल शांतिनाथ मंदिर भुवाणा दर्शन करने गई और वहां से वापस लौटने के दौरान सेलिब्रेशन मॉल के समीप एक बाइक पर दो बदमाश आए। इनमें से एक बाइक पर सवार रहा वहीं दूसरा वृद्धा के गले पर झपट्टा मारने लगा और इस दौरान वृद्धा ने बदमाश से मुकाबला भी किया लेकिन फिर भी बदमाश वृद्धा के गले से चेन झपट कर बाइक पर अपने साथी के साथ फरार हो गया।

मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक राजेश यादव के सुपरविजन में सुखेर थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में जिला स्पेशल टीम प्रभारी विक्रमसिंह मय टीम ने पीडिता से की गई पूछताछ एवं मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर तलाश शुरू करने के दौरान आरोपियों पर 10-10 हजार रूपये इनाम की घोषणा की। इस दौरान पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी केमरों की जांच पड़ताल में मिले साक्ष्यों के आधार पर सलुम्बर, डूंगरपुर व अहमदाबाद की तरफ दबीशे दी। इस दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर प्रभूलाल उर्फ प्रकाश पुत्र जीवा निवासी कोजावाड़ा ऋषभदेव हाल बनजारीया खेरवाड़ा तथा तरूण उर्फ सिकन्दर पुत्र जीवतराम उर्फ लखमा निवासी कलावत बिलख ऋषभदेव को ऋषभदेव की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया। इस दौरान भागने के प्रयास में गिरने पर दोनों चोटिल हुए। आरोपी प्रभूलाल के खिलाफ एवं तरूण के खिलाफ पूर्व में भी अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं तरूण सलूम्बर जिले के वांछित अपराधी भी है। तरूण गुजरात में लूट के मामले में अहमदाबाद जेल में बंद रहा है। तरूण शहर में रहते हुए अपने फूफा के प्रभूलाल के साथ मिल कर वारदात करने के लिए अहमदाबाद से स्पोर्ट्स बाईक चोरी की। प्रभूलाल बाइक चलाता पीछे तरूण बैठता एवं सवेरे सेवेरे मंदिरों के आस पास रैकी करते एवं शिकार नजर आने पर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते। प्रभूलाल मुंह के केंसर रोग से पीडित है तथा उसके तीन पत्नीयां है जो सागवाड़ा, डुगरपुर एवं खेरवाड़ा में अलग अलग रहती है।

इधर, जिला पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने कहा कि शहर में चोरी छिपे वारदात कर भागने वाला बदमाश हर हाल में पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस एवं शहर पुलिस शहर वासियों के साथ खड़ी है तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

## आभूषण चोर नौकर गिरफ्तार

**उदयपुर, (कासं)।** शहर के घंटाघर थाना पुलिस ने ज्वलर्स शॉप से आभूषण चोरी करने वाले नौकर को गिरफ्तार किया।

प्रकरण के अनुसार पीडित फतेहलाल सोनी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी कि मेरी मोती चोहट्टा में आशा ज्वेलर्स के नाम से दुकान है ताि दुकान पर भंवरलाल नौकरी करता है जो मेरी अनुपस्थिति में 2 किलों चांदी के जेवर चुरा ले गया। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा, पुलिस उप अधीक्षक राजेश यादव के सुपरविजन में घंटाघर थानाधिकारी कर्मवीरसिंह के नेतृत्व में गठित दल ने कार्यवाही करते हुए भंवरलाल पुत्र सोहन निवासी नीमच खेड़ाी अम्बामाता को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने वारदात करना स्वीकार किया।

# जिला कलेक्टर ने ली पेट्रोलियम गैस कंपनियों की बैठक

- पीएनजी कार्यों की प्रगति की समीक्षा, सड़कों की खुदाई से संबंधित दिए निर्देश

**उदयपुर, (कासं)।** जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बुधवार को पेट्रोलियम गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शहर में चल रहे पाइपलाइन गैस (पीएनजी) कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने से जुड़े कार्यों, निगम से मिलने वाली एनओसी तथा कार्यों में आ रही विभिन्न बाधाओं पर विस्तार से समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर पाइप्ड गैस लाइन (पीएनजी) से जोड़ा जाए, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता कम हो।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने शहर में पाइपलाइन बिछाने के कार्यों के चलते क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के संबंध में भी समीक्षा की और संबंधित निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे शीघ्रता से सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने हाल ही में निर्मित सड़कों को नुकसान से बचाने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर नमित मेहता ने स्पष्ट किया कि बिना आपसी समन्वय के किसी भी संस्था या एजेंसी द्वारा सड़कों की खुदाई नहीं की जाए। सभी विभागों और एजेंसियों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि गैस कनेक्शन प्राप्त घरेलू उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन देने में प्राथमिकता दी जाए और इसके प्रति जागरूकताब?ाई श्?द्ध जाए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें। बैठक में यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, डीएसओ प्रथम सृष्टि डबास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

# वॉश नष्ट, हथकड़ अवैध शराब जब्त

**उदयपुर, (कासं)।** आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर रोकथाम के लिए जारी विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत आबकारी निरोधक दलों द्वारा गश्त, नाकाबंदी एवं दबिश की कार्रवाई करते हुए हजारों लीटर वॉश, भट्टियां नष्ट करते हुए अवैध मदिरा को जब्त किया गया।

आबकारी आयुक्त श्री नकाते के निर्देशानुसार अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पॉलिसी प्रदीप सिंह सांगावत एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार शर्मा के सुपरविजन में प्रदेश में विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए अन्य राज्य की शराब की तस्करी, अवैध मदिरा के परिवहन व विक्रय पर आबकारी निरोधक टीमों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। हनुमानगढ़ जिले में आबकारी थाना हनुमानगढ़ एवं संगरिया ने संयुक्त कार्रवाई कार्रवाई करते हुए पन्नीवाली, फतेहपुर, अमरपुरा थेड़ी में 1200 लीटर वॉश नष्ट किया। चुरू में आबकारी निरोधक दल ने 82 पव्वे देशी मदिरा एवं 12 लीटर अवैध हथकड़ शराब जब्त की। नागौर के परबतसर में पड़त दुकानों के क्षेत्र में दबिश की कार्रवाई कर 500 लीटर वॉश नष्ट करते हुए 10 लीटर हथकड़ शराब बरामद की। मौके पर 2 अभियोग दर्ज किए। चित्तौड़गढ़ जिले में आबकारी थाना क्षेत्र निम्बाहेड़ा में नाकाबंदी के दौरान ईको वेन से देशी मदिरा सादा के 8 कार्टन, देशी मदिरा लॉयन सादा के 4 कार्टन, बीयर टुबोर्ग स्ट्रोंग प्रिमियम के 2 कार्टन सहित 14 कार्टन शराब एव बीयर बरामद कर वाहन चालक पुसलाल प्रजापत के विरूद्ध अभियोग दर्ज किया गया। इस संबंध में अठिाम कार्रवाई की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में आबकारी थाना क्षेत्र बांसवाड़ा व कुशलगढ़ में दबिश की कार्रवाई में 3 हजार लीटर महुवा वॉश नष्ट किया गया। मौके से 48 बोतल अवैध हथकड़ शराब जब्त कर 4 अभियोग दर्ज किए। इसी प्रकार प्रदेश में अन्य जिलों में भी आबकारी निरोधक दलों द्वारा नाकाबंदी, गश्त एवं दबिश की कार्रवाई कर अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर कार्रवाई की जा रही है।

## कार्यवाही की मांग

**उदयपुर, (कासं)।** उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में काकोरी के शहीद पंडित राम प्रसाद शिबस्मिलश्ए अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह की मूर्तियां तोडकर कचरे में फेंकने वाले अधिकारियों व नेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने और ससम्मान तीनों क्रांतिकारियों की भव्य मूर्तियां लगाने की मांग को लेकर शहादत दिवस समारोह समिति ने बुधवार को जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भेजा। शहादत दिवस समारोह समिति के सचिव डी.एस. पालीवाल ने बताया कि भगतसिंह, सुखदेव व राजगुरु के शहादत दिवस की भोर में नगर सौंदरीयकरण के नाम पर काकोरी के तीनों शहीदों की मूर्तियों को तोडकर कचरे में फेंक दिया गया जिससे पूरे देश में रोष है।

### आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स खेमचंद देवकिशन, पता-रेल्वे स्टेशन के पास, तहसील-निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.) कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस जिला उद्योग केन्द्र चित्तौड़गढ़ (राज.) में जरिए रजिस्ट्रेशन नम्बर- FIRM REG NO:- 1754/83 दिनांक- 02/05/1983 Form-A/OFFLINE/2024/48656 दिनांक- 09-06-2025 से भागीदारी फर्म में पंजीकृत है यह कि (i) श्रीमती धापु बाई मृत्यु दिनांक 10.11.1995 से व (ii) श्री देवकिशन नगरिया मृत्यु दिनांक 10.02.1999 से रिटायर हो गये है भागीदारी फर्म दिनांक 10.02.1999 को विघटित हो गई है। इस संबंध में भागीदार व वारिसेन के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। किसी को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस चित्तौड़गढ़ में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है।

इति दिनांक:-

जरिये- श्रीमती चंद्रकला नगरिया (भागीदार)

वास्ते- मैसर्स खेमचंद देवकिशन, पता- रेल्वे स्टेशन के पास, तहसील- निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

# राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने दिया ज्ञापन

**बांसवाड़ा, (निसं)।** राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष दिनेश मईड़ा और संभाग संगठन मंत्री दिलीप पाठक के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार केवल 30 प्रतिशत शैक्षिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने की मांग की।

जिलाध्यक्ष दिनेश मईड़ा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार विद्यालय शिक्षा के केवल 30 प्रतिशत शैक्षिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का आदेश जारी किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और शिक्षा सचिव की सहमति से निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने आदेश जारी कर इसके साथ ही जिस भी विद्यालय में एकल शिक्षक अथवा दो ही शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें जनगणना में प्रगणक कार्य से मुक्त रखा जाए। जिला मीडिया संयोजक जनक भट्ट ने बताया कि संगठन के संभाग संगठन मंत्री दिलीप पाठक ने कहा कि उप खण्ड अधिकारी बाँसवाड़ा के आदेशानुसार शहरी क्षेत्र के अधिकांश विद्यालयों के सम्पूर्ण स्टॉफ की ड्यूटी जनगणना में प्रगणक/पर्यवेक्षक के रूप में लगा दी गई है। इस समय विद्यालय में परीक्षा परिणाम, निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, प्रवेशोत्सव और अध्यापन कार्य चल रहा है। एक अप्रैल से नया सत्र शुरू हो राह हैं जिसमें विद्यालय में प्रवेशोत्सव और अध्यापन कार्य चलेंगे। सभी स्टॉफ के ड्यूटी जनगणना में लगने से विद्यालय प्रबंधन बुरी तरीके से प्रभावित होगी। ऐसी परिस्थितियों में विद्यालय का कार्य बाधित होने की पूर्ण संभावना है।

## मकान हड़पने का आरोप

**डूंगरपुर, (निसं)।** इन्दिरा कॉलोनी सागवाडा निवासी एक बेवा कमरून्निशा पत्नी अब्दुल लतिफ पिंजारा ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौपकर बताया कि उसका पुत्र एवं पुत्रवधु मिलकर उसके स्वामित्व के मकान को हडप कर उसे घर से बेदखल करने की कौशिश कर रहे है। जिसको लेकर बेवा ने पुलिस अधीक्षक से न्याय दिलाने की मांग की है। प्रार्थिया ने अपने ज्ञापन में बताया कि सागवाडा के इन्दिरा कॉलोनी में निवासरत है। तथा वह 1979 से कानोड निवासी मुबारिक हुसैन पिंजारा के साथ निकाह हुआ था और उससे दो पुत्र हुए थे, लेकिन क्लेश के कारण अपने पिता के घर सागवाडा रहकर मेहनत मजदूरी कर बच्चों को पढाया, लेकिन कुछ समय पश्चात बच्चों के पिता द्वारा बच्चो को लेकर चला गया। और वह अकेली रह गई लेकिन उसने मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन यापन शुरू किया।

# उदयपुर में पेंशनर्स ने किया प्रदर्शन

**उदयपुर, (कासं)।** पेंशनर्स आधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग को लेकर सैंकड़ों बुजर्गो ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा।

उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट पर बुधवार को बुजुर्गों का गुस्सा फूट पडा। तपती धूप में भी बडी संख्या में पेंशनर्स इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथ में तख्तियां और चेहरों पर नाराजगी जाहिर कर रहे बुजुर्गों का कहना था कि सरकार अब उनके बुढापे की लाठी छीनने की कोशिश कर रही है। राजस्थान पेंशनर समाज के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के आ ान पर उदयपुर में भी आज श्काला दिवसश् मनाया गया। दरअसल इन बुजुर्गो के विरोध का मुख्य कारण नया वैद्यता अधिनियम 2025 है। पेंशनर्स इसे अपने हक पर डाका मान रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे बुजुर्गों ने साफ कहा कि यह कानून पेंशनर्स के बीच दीवार खडी कर रहा है। जो लोग पहले रिटायर हो चुके हैं उन्हें नए नियमों की वजह से पूरा फायदा नहीं मिलेगा।

अगर आंकडों की बात करें तो राजस्थान में करीब 5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं। इनमें से उदयपुर जिले में ही हजारों की संख्या में बुजुर्ग इस कानून की जद में आ रहे हैं। अगर यह कानून पूरी तरह लागू होता है तो प्रदेश के इन 5 लाख से ज्यादा परिवारों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पडेगा। खासकर उन बुजुर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं और बढती महंगाई के बीच पेंशन के भरोसे अपना घर चला रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान मंत्री बाबूलाल जैन और अन्य वरिष्ठ सदस्य भी मौजूद रहे।पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी और इस श्काले कानूनश् को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज होगा। बुजुर्गों का कहना है कि वो आखिरी दम तक अपने हक की लडाई लडेंगे।

### DIRECTORATE OF RESEARCH

Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur

No. MPUAT/DR/2026/5842 | Date: 25/03/2026

**ADVERTISEMENT FOR RECRUITMENT**

A walk-in-Interview to engage contractual SRF in the Research Projects as per the advertisement given on University website http://mpuat.ac.in will be held at DOR, Udaipur on 02.04.2026 at 11:00 AM. The engagement shall be purely on contractual basis and can be terminated at any time without any notice.

Sd/-
Director Research

# उदयपुर कलेक्ट्रेट में बिना हेलमेट प्रवेश निषेध

- चौपहिया वाहन चलाने वालों के लिए सीट बेल्ट जरूरी

**उदयपुर, (कासं)।** एसपी अमृता दुहन के निर्देश पर बुधवार से जिला कलेक्ट्रेट में दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट और चारपहिया में बिना सीट बेल्ट वाहन चालकों को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया।

उदयपुर में नए एसपी के आने साथ ही पहले सप्ताह में यातयात नियमों में भी सख्ती शुरू हो गई है। एसपी अमृता दुहन के निर्देश पर बुधवार से दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट और चारपहिया में बिना सीट बेल्ट वाहन चालकों को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया।सख्ती के पहले ही दिन कलेक्ट्रेट के बाहर मेन गेट पर पुलिसकर्मी जवान तैनात रहे और आने.जाने वालों को रोककर समझाइश की। पुलिसकर्मियों ने कई लोगों को मौके पर ही हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया। नियमों की अनदेखी करने वालों को स्पष्ट कर दिया गया कि बिना सुरक्षा उपाय अपनाए अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।

एसपी अमृता दुहन ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य हादसों में कमी और ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को सुधारना हमारी प्राथमिकता और मकसद है। यह शुरूआत हमारे ऑफिस से कर रहे हैं ताकि सरकारी कर्मचारी और यहां आने वाले लोग समझ पाए। सब लोग हेमलेट पहनना सनिश्चित करें। इसके बाद पूरे शहर में इसे लागू किया जाएगा। एसपी दुहन ने कहा कि पहले इसके लिए हम लोग जागरूकता बढाने की कोशिश कर रहे है। उदयपुर में दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट के लिए हम बेहतर व्यवस्था बनाने की कोशिश भी करेंगे।

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

### कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

सं. 19267 | :- लोक सूचना :- | दिनांक: 25.03.2026

पुनीत बिल्डर्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री रमेश देवीलाल राठौड़ पिता श्री देवीलाल राठौड़ निवासी कर्मचारी कॉलोनी, नाथद्वारा, तहसील-नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

| क्र. सं. | तहसील का नाम जिले सहित | ग्राम का नाम | खसरा संख्या | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नाथद्वारा जिला-राजसमन्द | उपलपुरा मंगरा पाछला | 14, 15, 16, 21, 778/18, 780/18 781/20, 783/20, 784/17, 785/17 | 2.2901 हैक्टेयर |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 25.03.2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

### कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

सं. 19264 | :- लोक सूचना :- | दिनांक: 25.03.2026

श्री डुंगा लाल गमेती पिता श्री गमना जी निवासी कुंचोली तहसील-नाथद्वारा, श्री योगेश गमेती पिता श्री पृथ्वीराज गमेती, श्री प्यारे लाल पिता श्री अम्बालाला एवं श्री पुष्कर लाल गमेती पिता श्री लिम्बाराम गमेती निवासी उदयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

| क्र. सं. | तहसील का नाम जिले सहित | ग्राम का नाम | खसरा संख्या | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नाथद्वारा जिला-राजसमन्द | पानरियों की मादड़ी | 268, 269, 598/270, 273 से 279, 291 से 295 | 1.5998 हैक्टेयर |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 25.03.2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

### कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगपालिका नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

सं. 19270 | :- लोक सूचना :- | दिनांक: 25.03.2026

श्री दिनेश जैन पिता श्री शान्तिलाल एवं पार्श्वनाथ कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड जरिये भागीदारी श्री दिनेश जैन पिता श्री शान्तिलाल जैन व हेमेन्द्र जैन पिता श्री विजयलाल जैन निवासी सविना, उदयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

| क्र. सं. | तहसील का नाम जिले सहित | ग्राम का नाम | खसरा संख्या | क्षेत्रफल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | नाथद्वारा जिला-राजसमन्द | भलावतों का खेड़ा | 06 से 13, 16 से 22, 24, 1048/3, 1050/25, 1052/26 | 2.4363 हैक्टेयर |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 25.03.2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिका, नाथद्वारा

प्रारूप-10 (नियम-6(7) देखिए)

### कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगरपरिषद राजसमन्द

सं.10577 | लोक सूचना | दिनांक: 25.03.26

श्रीमती श्रीमती बाली चौधरी पत्नी श्री मोहन लाल जाट निवासी किसोर नगर तहसील व जिला राजसमन्द द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्-

| क्र. सं. | जिले सहित तहसील का नाम | ग्राम का नाम | खसरा संख्या | क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1. | राजसमन्द | आसोटिया के | 739/3 | कुल रकबा 0.2165 हैक्टेयर में से 0.1422 हैक्टेयर भूमि का हॉस्पीटल प्रयोजनार्थ |

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 25.03.26 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगरपरिषद, राजसमन्द

# पंचदेवरिया में श्रीराम यज्ञ आज

**उदयपुर, (कासं)।** उदयपुर के पंचदेवरिया क्षेत्र में श्री बजरंगबली प्रचार समिति के तत्वावधान में आयोजित नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को विविध धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा।

इस अवसर पर समिति व्यवस्थापक पंडित पवन कुमार सुखवाल ने बताया कि प्रात: 9बजे 21 जोडों द्वारा वैदिक विधि.विधान के साथ श्री राम यज्ञ का शुभारंभ होगा।उन्होंने बताया कि दोपहर 12 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति की जाएगी। इस पावन अवसर पर श्री राम दरबार को विशेष रूप से पीतांबर धारण कराया गया है वहीं श्री बालाजी महाराज को मखमली वस्त्रए रजत छत्र,कुंडल एवं चंवर से अलंकृत किया गया है जिससे मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत वातावरण बना हुआ है।

कार्यक्रम के तहत दोपहर गुरुवार दोपहर 12.30 बजे 21 आतिशी तोपों की सलामी के साथ श्री रामलीला की भव्य महाआरती आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात श्रद्धालुओं में पंजरी का प्रसाद वितरित किया जाएगा।

# अष्टमी पर हुए विविध अनुष्ठान

**डूंगरपुर, (निसं)।** चैत्र नवरात्रि के तहत बुधवार को अष्टमी पर जिले भर के शक्तिपीठों स्थलों पर विविध धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। तथा कई स्थानों पर मेले भी भरे गये। बुधवार को दिन भर शक्तिपीठों स्थलों पर श्रद्वालुओं की खासी भीड़ रही।

वहीं गुरूवार को रामनवमी का पर्व परम्परागत हर्षोल्लास के तहत मनाया जायेगा जिसके तहत रामबोला मठ में चल रहे चैत्र नवरात्रि अनुष्ठान की पूर्णाहुर्ति होगी। तथा विविध धार्मिक अनुष्ठान होंगे। वही रामोत्सव आयोजन समिति के तत्वावधान में विशाल शोभायात्रा निकाली जायेगी जिसको लेकर शहर को दुल्हन की तरह भगवे रंग में रंगा गया है। साथ ही गेपसागर की पाल पर धर्म सभा का भी आयोजन होगा। जिसको तैयारियों को भी विभिन्न संगठन अन्तिम रूप देने में जुटे हुए है। गुरूवार को शोभायात्रा बादल महल शास्त्री कॉलोनी से रवाना होकर निकाली जायेगी जो कि शहर के विभिन्न मार्गो से होकर गुजरेगी। इस दौरान 5० फीट लम्बी रंगोली भी बनाई गई है।

अष्टमी के तहत शहर के न्यू कॉलोनी, पुलिस लाईन, हाउसीग बोर्ड, कंसारा चौक, दर्जीवाडा, फौज का बडला स्थित देवी प्रतिमाओं की मनोहारी श्रृंगार भी किये गये तथा दर्शनार्थ धर्मप्रेमी उमडे। साथ ही जिले के शक्तिपीठ स्थल आशापुरा, विजवामाता, शितलामाता गलियाकोट आदि स्थानों पर विशेष मेलों का आयोजन भी हुआ। तथा जिले भर से श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा। इधर शुक्रवार को रामनवमी के तहत नवरात्रि के दौरान चल रहे अनुष्ठानों की पूर्णाहुति हागी। जिसको लेकर मंदिर स्थलों को व्यापक रूप से सजाया संवारा गया है। इधर रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कडे इंतेजाम किये गये है। इसी के तहत बुधवार को पुलिस व पैरामिलेट्री फोर्स के नेतृत्व में जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार सहित प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस के जवानो, एवं आरएसी के जवानो के तत्वावधान में गेपसागर की पाल से पुराने शहर के विभिन्न मार्गो से एक फ्लेग मार्च निकाला गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।